

# प्रेस की राजनीतिक भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण (मण्डल कमीशन आन्दोलन में)

डॉ० परमेश्वर कुमार पाण्डेय

## प्रस्तावना

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान निर्माताओं के समक्ष समाज के दबे कुचले और पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान एक प्रमुख समस्या रही। परम्परागत भारतीय समाज ने एक वर्ग ऐसा था जो शिक्षा, सामाजिक सम्मान, आर्थिक सुदृढता की स्थिति को प्राप्त था। समाज का एक बड़ा वर्ग दलित, शोषित, सम्मान और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। भारतीय संविधान में यह धोषणा की गयी कि भारत के सभी नागरिकों ने जातियां, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। संविधान की मूल भावना यह भी थी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता के साथ साथ अवसर की समानता की स्थापना करना राज्य का मूल दायित्व होगा। इसलिए मौलिक अधिकार के अन्तर्गत कानून के समक्ष सबकी समानता का भाव स्पष्ट किया गया। धर्म, रंग, जाति, लिंग और जन्म के नाम पर विषमता को समाप्त करने की शपथ ली गयी। जन्म रोजगार में अवसर की समानता एवं छुआ-छूत की समाप्ति का उद्देश्य भी मौलिक अधिकार के अन्तर्गत किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी जातियां व्यवस्था के निर्माण एवं लोक कल्याण की भावना के विकास पर पर बल दिया गया। राज्य के नीति निर्माण में निर्देशक तत्वों की सूची प्रस्तुत की गयी। लोगों के लिए समान नागरिक आचार

संहिता, अनुसूचित जन-जातियों के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु योजना और समाज के अन्य लमजौर तबको के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के निर्देश राज्य को प्राप्त हुए।

संविधान के आधार पर 1953–1955 के मध्य प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। संविधान की धारा 340 के तत्वावधान में आयोग बना जिसके अध्यक्ष लाका कालेलकर थे। 1955 में इसकी में इसकी संस्तुतियां मेमुरेण्डम आफ एक्शन के रूप में रखा गया। इसमें 2399 जातियों को पिछड़े वर्ग के रूप में माना गया। संसद में इस पर किसी प्रकार की बहस नहीं हुई। यह माना गया कि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जाति की जगह आर्थिक स्थिति को अधर माना जाना चाहिए। परस्तुतः केन्द्रीय सरकार की उहापोहवादी नीति के कारण लाका कालेलकर रिपोर्ट ठाण्डे विस्तर में ढाल दी गयी। उस समय प्रेस की नजर में इसकी कमियों पर दृष्टि ढाली गयी।

1977 में देश में पहली बार गैर कानूनी सरकार का गठन हुआ। जनता पार्टी की इस सरकार ने पिछड़े वर्गों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए 20 दिसम्बर 1978 को बी०पी० मण्डल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की धोषणा ली। 31 दिसम्बर 1980 को आयोग की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गयी।

\*प्राचार्य, जी०डी०एस०यी० पी०जी० कालेज, डेरापुर, कानपुर देहात।

Correspondence E-mail Id: editor@eurekajournals.com

इस आयोग में सामाजिक और शैक्षणिक वृष्टि से पिछड़े हुए पर्ग को केन्द्रीय नौकरियों में आरक्षण दिलाने के लिए मापदण्ड निश्चित करने का कार्य सौंपा गया। 1990 तक यह रिपोर्ट ठण्डे वस्ते में पटी हुई थी। गैर काग्रेसी विपक्षीर दल ने इसको लागू करने के लिए अनेक बार जनता से वायदे किये, लेकिन 10 पर्ग तक इस रिपोर्ट पर कार्यान्वयन नहीं किया जा सका।

7 अगस्त 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यरत गैर काग्रेसी जनता दल की सरकार ने एकाएक मण्डल कमीशन की संस्तुतियों को लागू करने की धोषणा कर दी। परिणाम यह हुआ कि देश जातिगत संघर्ष में उलझता चला गया। आम सहमति के अभाव में रिपोर्ट को लागू करने का प्रभाव इतना गम्भीर पड़ा कि समाज की समरसता दृटती हुई दिखायी देने लगी। यह सत्य था कि देवीलाल और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यरत गैर काग्रेसी जनता दल की सरकार ने एकाएक मण्डल कमीशन की संस्तुतियों को लागू करने की धोषणा कर दी। परिणाम यह हुआ कि देश जातिगत संघर्ष में उलझता चला गया।

आम सहमति के अभाव में रिपोर्ट को लागू करने का प्रभाव इतना गम्भीर पड़ा कि समाज की समरसता दृटती हुई दिखायी देने लगी। देश में ऐसा विभिन्न जातीय संघर्ष का संकट कभी पैदा नहीं हुआ था। प्रश्न यह था कि पिछड़ों के अभ्युत्थान के नाम पर अवसरों का बटवारा क्या जाति के नाम पर होगा या आर्थिक पिछड़ेपन के नाम पर। राष्ट्र की योग्य ज्ञानताओं का कही उपयोग तो रुक नहीं जायेगा। देश जातीय दुक्तों में बहं तो नहीं जायेगा। यह प्रश्न राष्ट्र की राजनीति के वातावरण में तैर रहे थे। मण्डल विरोधी आन्दोलन हिसा की उचाई नापने लगा। राष्ट्र और पुलिस की पर्वतारं बढ़ी योग्यताएं अग्नि को समर्पित होने लगी। योट वैक के लालच में प्रत्येक राजनीतिक दल

संवेदना शून्यता के शिकार थे। राष्ट्र के इस जातीय संघर्ष के संकट में राजनीतिक दलों ने नकारात्मक भूमिका निभाई और वे लगभग निष्क्रिय से दिखाई पड़े। राष्ट्र में नियंत्रण शून्यता का अभाव अपने चरम पर दिखाई पड़ रहा था। जातिगत विख्यात को रोकने से प्रशासनिक मशीनरी असफल हो चुकी थी। पुलिस प्रशासन न्यायपलिका, राष्ट्रीय नेतृत्व किंकर्त्वविहृद से खटे थे। ऐसा लगा कि भारतीय समाज उदारसा और सहिष्णुता की अपनी परम्परा भूल चुका है।

## उद्देश्य

अध्ययन क्षेत्र में मण्डल कमीशन आन्दोलन में प्रेस की स्थिति याद करना—

साहित्य समीक्षा शोध पत्र से सम्बन्धित साहित्य जो उपलब्ध हुआ वर्तमान समय में आरक्षण का आधार जातीय नहीं बल्कि अर्थिक आधार पर करने की गांग जोरों पर है। सरकार तथा भिन्न भिन्न दल भी इस दिशा में सोचने पर मजबूर है विषय के लिए सामग्री का चयन दुख्ह कार्य है। शोध पत्र के सन्दर्भ में हमने ऐतिहासिक और पिश्लेषणात्मक प्वाति का सहारा लिया है। प्रस्तुत शोध पत्र को नवीन दृष्टिकोण के आधार प्रस्तुत करना हमारा उद्देश्य है। मण्डल कमीशन के लागू होने के बाद भी देश में असन्तोष व्याप्त है।

जातिगत आरक्षण ले लागू होने के बाद भी केवल जाति के अन्तर्गत सक्षम लोग ही इसका लाभ उठा रहे हैं जिनको आरक्षण के बाद भी अपनी जातिगत प्रतिरक्षदा में बहुत पीछे है। अतः आरक्षण जातिगत नहीं आर्थिक आधार पर होना चाहिए। शोध पत्र से सम्बन्धित साहित्यों का अभाव है। इसमें दो तीन पुस्तकें एवं पत्र, पत्रिका एवं समाचार पत्रों में जो सामग्री उपलब्ध हुई है उनका उल्लेख मैंने सन्दर्भ गच्छ सूची में किया है।

## शोध प्रविधि

शोध पत्र के सन्दर्भ में हमने ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक पद्धति का सहारा लिया है। प्रस्तुत शोधपत्र में महत्वपूर्ण पत्रकारों एवं सनके विचारों को समाहित किया गया है। राजनीतिक दलों, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो वोट की राजनीति में लिपट छाए प्रस्तुत किया गया है। मण्डल कमीशन के विरोध में बोलने पर पिछड़ों के वोट करने का भय तथा मंडल कमीशन के समर्थन में बोलने पर सामान्य जातियों के वोट करने का भय व्याप्त है। इसलिए राजनीतिक दलों के नेता सौन हैं। किसी से साझात्कार की स्थिति में वे खामोश एवं टाल मटोल करते हैं।

## विमर्श

मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर प्रेस ने उसका व्यापक संवैधानिक और राजनैतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। रिपोर्ट के विश्लेषण में निष्क्रियता और पूर्वग्रहता दोनों कंगाव दिखाई पड़ते हैं। गण्डल कमीशन रिपोर्ट का व्यापक राजनैतिक संवैधानिक विश्लेषण सबसे पहले अरुण शौरी ने किया। शौरी ने रिपोर्ट को एक मठान भूला बताया इसमें महापिनाश के छिपे हुए बीज देखा। उन्होंने रिपोर्ट को जातिवाद की सलाध धोषित किया। शौरी के अनुसार मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से राष्ट्र निजीव हो जायेगा, प्रतिभा रुक जायेगी। सत्ता नापा करने और वोट के लिए जातिवादी राजनीति करना राष्ट्र के लिए धातक है।

यह केवल मंडल की कृपा और ३०पी० सिंह की अधिकृत धोषणा से नहीं हुआ कि आधी सरकारी तौकारिया जाति के आधार पर दी जायेगी, जो उनको समालने के लिए सक्षम तथा योग्य नहीं है। भीटवादी प्रचार का आलम यह है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तय किये गये 27 प्रतिशत के आरक्षण के

साथ मण्डल ने यह वाक्य भी चर्चा कर दिया "छाली स्पर्धा में मेरिट के आधार पर चुने गये" अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को 27 प्रतिशत आरक्षण में एडजस्ट नहीं किया जायेगा, दूसरे शब्दों में जो नेरिट की कस्ती ही पर खरे नहीं उतारते उन्हीं को कोटा भरने के लिए नौकरियां दी जायेगी। स्वाभाविक है कि यह बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों पर भी लागू होगी जिनके लिए पहले से ही सभी नौकरियों में 22.5 प्रतिशत का आरक्षण पहले से तय है यह कोटा न सिफ नौकरियों में प्रवेश पाने के लिए तय है। बल्कि हर स्तर पर पदोन्नतियों पर भी लागू होगा।

## निष्कर्ष

भारत की स्वाधीनता के बाद समाज में अभी एवं नरीब के बीच गहरी खाई थी। यथापि कि समाज की समरक्षता में कोई लम्ही नहीं थी संविधान निर्माण के समय से ही समाज में दबे कुचले लोगों का उत्थान प्रमुख समस्या रही है। कांग्रेस जो प्रारम्भ से ही सत्ता के शीर्ष पर थी ब्राह्मण हरिजन और मुस्लिम वोट बैक के आधार पर सत्ता नूत्र संभाला। लेकिन इसमें हरिजनों के प्रति उनका दृष्टिकोण ढुलमुल बाला ही रहा। पारिणाम यह हुआ कि लम्घे समय में भी अनु-सूचित जाति और जनजाति का वह उत्थान देखने को नहीं मिला, जिसकी उम्मीद प्रारम्भ में की गयी थी। इन जातेयों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण की सुविधा भी दी गयी। परस्तुतः अनुसूचित जाति, जनजातियों में भी आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिला जो इस वर्ग में मक्खनी सतह थे। 1984 के बाद दलित अपने आत्म सम्मन की लडाई में रत हो गये, उन्हे कांशीराम जैसा नेता मिला। दलितों के इस नेतृत्व में समाज को सर्वण बनाम दलित में विभाजित कर दिया। कांग्रेस ने सतर्कता का परिचय देते हुए 1956 में काका कालेलकर आयोग जिसे प्रधान मिछड़ा

वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है का गठन किया। रिपोर्ट की संस्तुतियों को 1977 तक लागू नहीं किया गया। 1977 में जब पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ तो लोहिया के सिद्धान्तों के आधार पर अपने घोट बैक को सुदृढ़ करने हेतु कारगर कदम उठाया। जनता पार्टी के नेतृत्व वर्ग को एकजुट कर लिया जाय तो कांग्रेस फिर सत्ता में वापस नहीं आ पायेगी। इसी काये योजन के तहत मेरारजी देसाई वीर राजकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग मण्डल आयोग की नियुक्ति की। 31 दिसम्बर 1980 को इसकी संस्तुतियां सरकार को दे दी गयी। अगस्त 1990 तक इन संस्तुतियों पर कोई कियावन्ययन नहीं किया गया। मण्डल आयोग के नाम पर स्वर्ण और पिछड़ा गतबन्धन कांग्रेस से तोड़ दिया गया। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंहके नेतृत्व में गतबन्धन सरकार सत्ता में आई। प्रारम्भ में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मण्डल कर्मीशन की संस्तुतियों को लागू करने में ढिलाई की। लेकेन जनता दल में पिछड़ों का नेतृत्व देवी-लाल ने सभाल लिया परिणाम यह हुआ कि नेतृत्व के प्रश्न पर जनता दल में भी जीचतान शुरू हुई।

7 अगस्त को देवीलाल बनाम विश्वनाथ प्रताप सिंह के संघर्ष में मण्डल आयोग की संस्तुतियों को आनन-फानन में लागू करने की घोषणा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कर दिया। परिणाम यह हुआ कि समाजिक दृष्टि की गति तेज हो गयी। अम सहस्रि के अभाव में रिपोर्ट को लागू करने का परिणाम इतना गम्भीर पड़ा कि समाज का ताना-बाना टूटता हुआ दिखाई पड़ने लगा। पूरा समाज अगडे बनाम-पिछडे में विभक्त हो गया।

आन्दोलन अंहिसात्मक नहीं हिंसात्मक था। देश अराजकता के शिखर पर था। पुलिस प्रशासन न्यायपालिक, राष्ट्रीय नेतृत्व, कि कर्तव्य धिनूँड से खड़े थे। छान्नों के लिए यह तनाव पूर्ण स्थिति थी। दिल्ली में राजीव

गोत्यामी ने आत्मदाह का सिलसिला शुरू किया। सैकड़ों नौजवानों ने मण्डल के विरोध में देश के विभिन्न भागों में आत्मदाह की राजनीति को शुरू किया। अत्मदाह के इस जंगल में लेन्दीय सरकार बौनी और संवेदना शून्य लग रही थी। समाज की दृष्टि में सरकार और राजनीतिक दल धृणास्पद हो गये थे।

इस खतरनाक स्थिति में प्रेस ने अपनी सार्थक भूमिका का निर्धारित किया। समाज का बड़ा वर्ग मण्डल की संस्तुतियों को नहीं जानता था। उसके दूरगानी परिणाम के बारे में यह अनभियथा था। प्रेस ने बन्द हुए बहस को प्ररम्भ किया। वह सर्वमान्य है कि संसदीय व्यवस्था ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बाद प्रेस सरकार का चौथा खम्भा है। उसकी निष्पक्षता से समाज पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है। मण्डल समर्थक नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि भारतीय प्रेस सर्वर्ण के हाथ की कठपूतली है। नेताओं का यह भी आरोप था कि मण्डल विरोधी दंगों को उकसाने में प्रेस का हाथ है। लेकिन इस तरह के दृष्टिकोण पूर्वग्रत से ग्रसित है। यदि सभी की असफलता के बाद प्रेस ने यथार्थ को समाज में उजागर करने का सार्थक प्रयास न किया होता तो शायद देश जातिगत संघर्ष के मुहाने पर खड़ा होता और उसे टूटते देर लगती। प्रेस ने लोगों के सोच में परिवर्तन करने का काम किया। प्रेस ने स्पष्ट रूप से सभी राजनीतिक दलों को स्वार्थवादिता के कटधरे में खड़ा कर दिया मण्डल आयोग पर कानूनी संवेदनिक, सामाजिक, आर्थिक आरक्षण की सफलता-असफलता पर बहस किया। यह भारतीय लोकतन्त्र की गहराई ही कही जायेगी। कि जब देश अन्धरे के गर्त में जा रहा था तो प्रेस ने उसे रांशनी दिखाई। युवाओं को उग्र आदोलन और आत्मदाहों के जंगल से निकालने का सार्वत्र वस्तुतः मण्डल विरोधी आन्दोलन के दौरान समाज

और राष्ट्र का नेतृत्व प्रेस ही कर रहा था। अरुण शौरी, राजेन्द्र अवस्थी, गिरिलाल जैन, मधु लियो, सुरेन्द्र मोहन, राजेन्द्र यदव, अरुण पुरी, चन्दन मिश्रा, राजकिशोर, जैसे यरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी लेखनी उठाई उन्होंने मण्डल आयोग के सन्दर्भ में जो बहस की थह अभूतपूर्व है। उन्होंने वकीलों, सविधान विदों समाज के बीटिक वर्ग को प्रेरित किए तथा वैदिक नर्म में आग की लपटों पर पानी डालने का कार्य किया। प्रेस ने ऐसी भूमिका आपातकाल और प्रेस वित के छिलाक किया था। वरतुतः प्रेरा रुधारवादी एक स्तम्भ है।

### निष्कर्षत

यह कहा जा सकता है कि मण्डल आन्दोलन के दौरान प्रेस की सार्थक भूमिका इसलिए महत्वागूण है कि प्रेस के प्रभाव से आरक्षण का मूल भूत प्रश्न विवाद खरस्त नहीं बन पाया और सामाजिक न्याय की पवित्र अवधारणा जातिगत न्याय का रूप नहीं ले सकी।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- [1]. Agarwal 1975 Castes Community and Tribes in India, Contemporary Social Science 4(8) April-June P-5-6.
- [2]. Anon, 1966, Bibliography on Scheduled Caste.

- [3]. Business India (Periodical ) J-16
- [4]. India Planning Commission, 1990 Annual Report 1989-90 Planning Commission, New Delhi, 100p.
- [5]. India Ministry of Information and Broad Casting 1988-89 Reference New Delhi - 129D.
- [6]. India Today (Periodical), 1990 Sept 15.
- [7]. Hindustan Times (Newspaper) 1990 The Mandul Mass Hindustan Times Sept 19 Editorial.
- [8]. Hoshier Singh and Malik Jagdish Kumar 1984 The Mandal Commission Report a Plea for Share in Power, Political Science Review 23(3-4) July-September, P 250 -268.
- [9]. Meenakshi, 1990, The Plight of Brahmins India Express, September 18.
- [10]. Khushwant Singh, 1990 Mandal Mess, Hindustan Times, September 8.
- [11]. Kothari Rajni, 1990, Meaning of Mandal Hindustan Times.
- [12]. Madhok Balraj, 1990 Creating New Tensions Hindustan Times.
- [13]. Roy, Burman B.K., 1990 Burman Questions.
- [14]. India Government 1968, National Policy on Education Ministry of Education New Delhi 28 P.
- [15]. Roy T.S, 1972, Free Education for All Social Welfare 19(9) December, P-18-20.